न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–5/2024

GCMS NO:- 2024/10

दायर दिनांकः 04.1.2024

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

शोजीलाल आ0 नाथूलाल जाति माली नि0 नयागांव प0म0 तलवास तहसील नैनवॉ

– प्रार्थी

बनाम

भूरा आ0 धूला जाति माली नि0 नयागांव प.म. तलवास तहसील नैनवॉ वगैरह। (कुल 12)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपीलाल सैनी।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिनारायण स्वामी।

निर्णय दिनांक 11.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नयागांव प0म0 तलवास मे खाता संख्या 41 के खसरा नम्बर 127 रकबा 2.2652 हैक्टयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 1.1245 हैक्टयर, खसरा नम्बर 129 रकबा 1.0274 हैक्टयर कृषि भूमि प्रार्थी एवं प्रत्यार्थीगण 6 लगायत 9 के संयुक्त खातेदारी स्वामित्व की स्थित है जिसमे प्रार्थी आधा हिस्सा 1/2 के खातेदार स्वामी है। प्रार्थी और प्रत्यार्थी 6 लगायत 9 ने उक्त जमीन का अपने हिस्से अनुसार मौके पर लगभग 40 वर्षो से बंटवारा कर रखा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने का रास्ता प्रार्थी भूरा अपने खातेदारी भूमि पर दक्षिण दिशा मे स्थित जंगलात के पहाड के रास्ते से खसरा नम्बर 137, 136, 126, 137/256 और 125 के मध्य अपने पूर्वजों के समय से बने लगभग 20 फीट रास्ते से होकर प्रार्थी अपनी जमीन पर पहुंचता है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया हुआ है। इस रास्त के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों पर जाने आने का नही है।

प्रत्यार्थी 1 लगायत 5 के मन मे बदनियति आ गई इसलिए अवैध एवं अनाधिकृत रूप से उक्त रास्ते को अवरूद्व करने, प्रार्थी के आवागमन मे बाधा डालने की धमकियां दे रहे है, रास्ते मे कांटेदार झाड डालकर रास्ते के आवागमन मे बाधा डालकर रास्ते को अवरूद्व करने पर आमादा है यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

यह कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित विवरणानुसार नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये गए रास्ते मुताबिक उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे 20 फुट चौडा रास्ता घोषित करवाकर राजस्व नक्शे व समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे इस आशय का अंकन करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 127, 128, 129 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैनवॉ